प्रतिलिपि न्यायालय अनुविभागीय

अधि. खाचरौद जि. उज्जैन

राजस्वआदेश–पत्र अनुवृत्ति–पत्र

मामला क्रमांक

प्रकरण कमांक :- 0104/बी-121/2025-2026

प्र.क्र. 104/बी-121/25-26

(2) | (3)

23/12/2025

–प्रकरण पेश।

–प्रकरण नायब तहसीलदार खाचरौद से प्रतिवेदन सहित प्राप्त।

–प्रकरण मे नायब तहसीलंदार खाचरौद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जितेन्द्र द्वारा उपस्थित होकर समाज के कार्यकम हेतू जमा कराई गई राशि/रसीदो की छायाप्रति प्रस्तुत की है जो निम्नानुसार है

| रसीद कमांक | नाम | दिनांक | राशि |
|---|---|---|---|
| 91 | भेरूलाल पिता बद्रीलाल | 29.04.2023 | 3500/– |
| 95 | लाला पिता भेरूलाल | 30.11.2022 | 2,000/– |
| 06 | लाला पिता भेरूलाल | 29.04.2024 | 3500/– |
| 83 | भेरूलाल पिता बद्रीलाल | 12.09.2025 | 3500/– |
| 94 | भेरूलाल पिता बद्रीलाल | 1.12.2021 | 3000 |
| 65 | लाला पिता भेरूलाल | 29.11.2024 | 3500 |
| 48 | रतनलाल पिता वरदाजी | 20.11.2020 | 3000 |

राठौर समाज के सदस्यों के द्वारा तद्समय का एक पेम्पलेट पेश किया गया जिसमें सभी समाज से राशि एकत्रित करने संबंधित सूचना है जो प्रकरण में सलंग्न।

437/2012/633/26
दिनांक 22/1/26
निरस्त क्र. 78

–प्रकरण में ग्राम पंचायत सचिव बटलावदी द्वारा भवन सम्पतिकर रजिस्टर की सत्य प्रतिलीपि पेश की गई जिसमें वर्ष 2020–21 कमांक 114 राजपुत धर्मशाला 56×49 पक्का अंकित है जो प्रकरण में सलंग्न है।

–प्रकरण में हल्का पटवारी बटलावदी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर रिपोर्ट/प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि, ग्राम बटलावदी द्वारा शिकायती आवेदन पत्र में उक्त विवादित भूमि वर्ष 2021–22 से वर्ष 2022–23 तक सर्वे कमांक 701 रकबा 2.52 हे0 मद आबादी दर्ज है तथा वर्ष 2023–24 से वर्तमान वर्ष 2025–26 तक 701 (बी) प्लाट नंबर 322 (पी) से 938 वर्गमीटर श्री राजपुत धर्मशाला अध्यक्ष कालुसिंह पिता नागु सिंह निजी संस्था के रूप में दर्ज है जो कि, आरसीएमएस अन्तर्गत 0035/अ–3/2021–22 से स्वानित्व योजना के तहत प्लाट नंबर 322 निर्मित होना पाया गया तथा उक्त प्लांट नंबर पर कालुसिंह पिता नागुसिंह का नाम अध्यक्ष के रूप मे दर्ज है वर्तमान में दिनांक 11.11.2025 के पालन में विवादित स्थल पर मौका पंचनामा हेतू उपस्थित होने पर राठौर समाजजनों द्वारा विवाद का कारण पुछने पर बताया गया कि, उक्त धर्मशाला राजपुत समाज, राठौर समाज ब्राहम्ण समाज, पोरवाल समाजजनों के सहयोग से वर्ष 2012 मे निर्मित की गयी जिसे सभी समाज जन उपयोग करते आ रहे थे तथा समाज जनों द्वारा बताया गया कि, राजपुत समाज के अलावा अन्य समाजजनो को किराये के रूप में देते थे। इसी प्रकार दोनो पक्षों द्वारा धर्मशाला के नाम व कार्यकम करने की बात पर विवादित स्थिति निर्मित हो रही है। राठौर समाजजनों द्वारा कहा गया कि, उक्त धर्मशाला का नाम राजपुत धर्मशाला न होकर श्रीराम धर्मशाला किया जाये। जबकि राजपुत समाजजन द्वारा कहा गया कि, उक्त धर्मशाला को शुरू से राजपुत धर्मशाला के नाम पर ही जाना जाता है इसी प्रकार नाम को लेकर भी विवाद कायम है। का प्रतिवेदन पेश किया गया है। जिसके साथ वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 की खसरा की छायाप्रति पेश की गई है।

–प्रकरण में धर्मशाला संचालक कालुसिंह पिता नागु सिंह जाति राजपुत को पत्र जारी किया गया जिसमें धर्मशाला संचालक की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा वकालत नामा पेश कर जवाब पेश कर प्रतिवेदित किया गया कि :–

1. आवेदकगण द्वारा बिना किसी दस्तावेज आधार पर मनमाने रूप से प्रशासन को गुमराह करते हुए शिकायत प्रस्तुत की गई शिकायत पत्र की चरण संख्या 1,2,3,4 व 5 में शिकायतकर्ता द्वारा उक्त धर्मशाला के संबंध में समस्त असत्य वर्णन किया गया है । वास्तविकता इस प्रकार है कि, वर्ष 2012 से राजपुत समाज द्वारा उक्त आवेदित भूमि पर धर्मशाला निर्माण कर अपने सामाजिक कार्यकम किए जाते रहे है। शिकायतकर्तागण

Check and Verified by me

Nakal Navees

प्रमाणित प्रतिलिपि

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुभाग खाचरौद

तहसीलदार
तहसील-खाचरौद (म.प्र.)

को भी कई अवसरों पर राजपुत समाज द्वारा उक्त धर्मशाला किराए दी गई जिसके प्रमाण के रूप में शिकायतकर्तागण द्वारा स्वंय आयोजन के समय दिए गए किराये की रसीदे प्रस्तुत की गई है।

2. ग्राम बटलाददी स्थित भूमि सर्वे कमांक 701 में 938 वर्गमीटर का आवासीय परिवर्तन होकर उक्त पर राजपुत धर्मशाला का निर्माण किया गया है तथा वर्ष 2021–22 से वर्ष 2023 तक उक्त सर्वे नंबर मद आबादी मे दर्ज है तथा वर्तमान वर्ष 2025–26 मेंसर्वे नंबर 701–बी प्लाट नंबर 322–पी, 938 वर्गमीटर श्री राजपुत धर्मशाला के अध्यक्ष कालुसिंह पिता नागुसिह का नाम निजीसंस्था के रूप में दर्ज है।

3. वर्तमान आर सीएमएस अन्तर्गत 0035/अ–3/2021–22 से स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्लॉट नंबर 322 निर्मित है तथा उक्त प्लॉट पर राजपुत धर्मशाला के अध्यक्ष के रूप में प्रार्थी अनावेदक का नाम दर्ज है वर्ष 2012 से उक्त स्थान पर अनावेदक व समाजजनों द्वारा राजपुत धर्मशाला का संचालन किया जा रहा है। सर्वे नंबर 701 के अलावा 0.06 बिस्वा भूमि सर्वे कमांक 788/1 एवं कमांक 791 में से ईश्वर सिंह पिता अर्जुनसिंह राजपुत , मदनलाल पिता बद्रीलाल पोरवाल कृषक ग्राम बटलावदी द्वारा भी 0.06 बिस्वा भूमि राजपुत धर्मशाला को दान दी गई है।

4. शिकायतकर्ता द्वारा राजपुत धर्मशाला के स्वत्व के संबंध में विवाद उत्तन किया जा रहा है स्वत्व के निर्धारण के संबंध में राजस्व न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है उक्त संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा ही स्वत्व का निर्धारिण किया जाता है का जवाब प्रस्तुत किया गया है। जो प्रकरण में सलंग्न है।

5. श्री कालुसिंह द्वारा अभिभाषक के समक्ष में बताया गया कि, उक्त समाज के व्यक्ति भी अगर धर्मशाला में आयोजन करते है तो मुझ कोई आपत्ति नही है।

–प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र और हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और ग्राम पंचायत सचिव और अनावेदक कालु सिंह पिता नागुसिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया है जिसमें मेरे एव नायब तहसीलदार खाचरौद द्वारा ग्राम पंचायत बटलावदी में उपस्थित होकर शिकायतकर्ता और अनावेदकगण व ग्रामवासियों से की गई चर्चा राठौर समाज द्वारा समक्ष में बताया गया कि, सभी समाज द्वारा राशि एकत्रित कर धर्मशाला का निर्माण किया गया है इसलिए धर्मशाला का नाम राजपुत धर्मशाला के स्थान पर श्रीराम धर्मशाला किया जावे।

1. वर्ष 2012–13 में राजपुत समाज, राठौर समाज ब्राहम्ण समाज, पोरवाल समाजजनों के जनसहयोग से वर्ष 2012 से सर्वे कमांक 701 रकबा 2.52 हे0 मद आबादी दर्ज होकर 938 वर्गमीटर पर उक्त समाजजनों द्वारा अपनी स्वेच्छा से अनुसार राशि एकत्रित कर धर्मशाला का निर्माण कार्य करवाया गया। उक्त विवादित भूमि वर्ष 2021–22 से वर्ष 2022–23 तक सर्वे कमांक 701 रकबा 2.52 हे0 मद आबादी दर्ज है ग्राम पंचायत सचिव बटलावदी द्वारा भवन सम्पतिकर रजिस्टर की सत्यप्रतिलीपि पेंश की गई जिसमें वर्ष 2020–21 कमांक 114 राजपुत धर्मशाला 56×49 पक्का अंकित है तथा वर्ष 2023–24 से वर्तमान वर्ष 2025–26 तक 701 (बी) प्लाट नंबर 322 (पी) से 938 वर्गमीटर पर श्रीराजपुत धर्मशाला अध्यक्ष कालुसिंह पिता नागुसिंह निजी संस्था के रूप में दर्ज हुई जो कि, आरसीएमएस अन्तर्गत 0035/अ–3/2021–22 से स्वामित्व योजना के तहत प्लाट नंबर 322 निर्मित हो ना पाया गया तथा उक्त प्लांट नंबर पर कालुसिंह पिता नागुसिंह का नाम अध्यक्ष के रूप मे दर्जहै।

2. चूँकि कालुसिंह सभी समाज में सर्वमान्य नागरिक होने के नाते उक्त निर्माण कार्य का भी पुरा संचालन इनके द्वारा किया गया। वर्ष 2012–13 के बाद उक्त समाज के जो कार्यकम होते थे उसकी विधिवत रसीद कालुसिंह द्वारा काटकर दी जाती थी और आयोजन किये जाते रहे है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग खाचरौद

FOR COPYING FEES ONLY
CANCELLED

3. शिकायतकर्ता तथा राठौर समाज द्वारा शिकायत की गई है कि, वर्ष 2025 से हमारे समाज के आयोजन करने के लिए कालुसिंहजी द्वारा धर्मशाला का उपयोग करने हेतु इंकार किया गया और धर्मशाला की रसीद काटने हेतू इंकार किया गया जबकि इसके पूर्व लगातार रसीद काटकर आयोजन किये जाते रहे है। अनावेदक द्वारा अपने जवाब में धर्मशाला किराए से दिए जाने और आयोजन करने की पुष्टि की गई है।

4. शिकायतकर्ता राठौर समाज की शिकायत है कि, उक्त समाज द्वारा राशि एकत्रित करके धर्मशाला का निर्माण करवाया गया तथा धर्मशाला शासकीय आबादी में दर्ज है अतः इसका नाम राजपुत धर्मशाला व अध्यक्ष कालुसिंह हटाया जावे, यह रिकार्ड में गलत दर्जहै।

नायब तहसीलदार खाचरौद के प्रतिवेदन से सहमत होकर उक्त भूमि आबादी में स्थित होकर शासकीय है, तथा वर्ष 2012–13 में राजपुत समाज, राठौर समाज ब्रहम्ण समाज, पोरवाल समाजजनों के जनसहयोग से वर्ष 2012 से सर्वे कमांक 701 रकबा 2.52 हे0 मद आबादी दर्ज होकर 938 वर्गमीटर पर उक्त समाजजनों द्वारा अपनी स्वेच्छा से अनुसार राशि एकत्रित कर धर्मशाला का निर्माण कार्य करवाया गया तथा ग्राम पंचायत सचिव बटलावदी द्वारा भवन सम्पतिकर रजिस्टर अनुसारवर्ष 2020–21 कमांक 114 राजपुत धर्मशाला 56× 49 पक्का अंकित है। वर्ष 2023–24 से वर्तमान वर्ष 2025–26 तक 701 (बी) प्लाट नंबर 322 (पी) से 938 वर्गमीटर पर श्रीराजपुत धर्मशाला अध्यक्ष कालुसिंह पिता नागु सिंह निजी संस्था के रूप में दर्ज हुई जो कि, आरसीएमएस अन्तर्गत 0035/अ–3/2021–22 से स्वामित्व योजना के तहत प्लाट नंबर 322 निर्मित होना पाया गया तथा उक्त प्लांट नंबर पर कालुसिंह पिता नागुसिंह का नाम अध्यक्ष के रूप मे दर्ज हुआ है। चूँकि उक्त भूमि शासकीय आबादी होकर अन्य समाज के द्वारा राशि एकत्रित कर निर्माण कार्य करवाया गया है। तथा पंचायत के सम्पतिकर रजिस्टर में राजपुत धर्मशाला दर्ज है तथा स्वामित्व में राजपुत धर्मशाला कालुसिंह दर्ज है। स्वामित्व योजना अन्तर्गत व्यक्ति को उसके निवास (मध्यप्रदेशभू–राजस्वसंहिताभू–सर्वेक्षणतथाभू–अभिलेख नियम 2020) का पट्टा प्रदाय किया जाता है ना कि, सार्वजनिक उपयोग के स्थान का चूँकि कालुसिंह उक्त धर्मशाला में संचालन का कार्य कर रहे है तथा राजपुत समाज के है, इसलिए राजपुत धर्मशाला एवं कालुसिंह का नाम स्वामित्व योजना के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है।

अतः प्रतिवेदन श्रीमान की ओर आगामी कार्यवाही सादर प्रेषित।

श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय
जिला–उज्जैन

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुभाग खाचरौद

तहसीलदार
खाचरौद जि.उ

Check and Verified by me

Nakal Navees

सन 20 20 नायब तहसीलदार प्र. क्रमांक प्रतिलिपि न्यायालय सन 20 विभागीय

अधि. खाचरौद जिला उज्जैन

प्र.क्र. 100/बी121/25126

(1) 19/1/2026

(2)

–आवेदक पवन कुमार राठौर पिता भेरुलाल राठौर निवासी ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद आदि द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद जिला उज्जैन म०प्र० में शासकीय भूमि सर्वे नंबर 701 में सार्वजनिक धर्मशाला का निर्माण वर्ष 2012–13 में किया गया था। इस धर्मशाला पर प्रत्येक समाज वर्ग के लोग कार्यक्रम करते आये हैं, किंतु ग्राम बटलावदी के ही राजपुत समाज के द्वारा इस धर्मशाला पर अपना कब्जा कर सार्वजनिक धर्मशाला को समाज की धर्मशाला बताकर राजपुत धर्मशाला का बोर्ड लगा दिया है तथा राजपुत समाज के अलावा अन्य किसी भी समाज को उक्त धर्मशाला नही दी जा रही है तथा इस धर्मशाला पर राजपुत समाज ने कब्जा कर अन्य समाज के लोगो का बहिष्कार कर धमकियां दी जा रही है। इसी विषय को लेकर दिनांक 11/11/2025 को आवेदन प्रेषित किया गया था जिस पर श्रीमान के द्वारा उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया था। पूर्व में दिये गये आवेदन–पत्र की छायाप्रति भी इसके साथ संलग्न की जा रही है जिसमें विस्तृत विवरण का उल्लेख किया गया है। श्रीमान के समक्ष यह आवेदन–पत्र प्रेषित कर निवेदन किया जा रहा है कि आवेदन के अंतिम निराकरण तक धर्मशाला पर होने वाले समस्त कार्यकमो व निर्माण कार्य को रोका जावे तथा राजपुत समाज के लोग भी इस धर्मशाला का उपयोग नहीं कर सके ऐसा स्थगन आदेश प्रदान किये जाने हेतु यह आवेदन–पत्र श्रीमान के समक्ष सादर प्रेषित है।
...आवेदन प्रस्तुत कर श्रीमान से सादर निवेदन किया गया ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद में स्थित भुमि सर्वे नंबर 701 पर स्थित सार्वजनिक धर्मशाला में किसी भी प्रकार के कोई कार्यकम व निर्माण कार्य प्रकरण के अंतिम निराकरण तक नहीं किये जाने संबंधी स्थगन आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

–प्रकरण दर्ज हो।

–उक्त भूमि सर्वे नंबर 701 रकबा 2.52 हे. मद आबादी गॉवठान शासकीय दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर सार्वजनिक धर्मशाला होने से ग्राम में उक्त धर्मशाला को लेकर आपसी विवाद उत्पन्न है।

–उक्त संबंध में इस न्यायालय में नायब तहसीलदार खाचरौद द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि उक्त भूमि आबादी में स्थित होकर शासकीय है. तथा वर्ष 2012–13 में राजपुत समाज, राठौर समाज ब्राहम्ण समाज पोरवाल समाजजनों के जनसहयोग से वर्ष 2012 से सर्वे कमांक 701 रकबा 2.52 हे0 मद आबादी दर्ज होकर 933 वर्गमीटर पर उक्त समाजजनों द्वारा अपनी स्वेच्छा से अनुसार राशि एकत्रित कर धर्मशाला का निर्माण कार्य करवाया गया तथा ग्राम पंचायत सचिव बटलावदी द्वारा भवन सम्पतिकर रजिस्टर अनुसारवर्ष 2020–21 कमांक 114 राजपुत धर्मशाला 56× 49 पटका अंकित है। वर्ष 2023–24 से वर्तमान वर्ष 2025–26 तक 701 (बी) प्लाट नंबर 322 (पी) से 938 वर्गमीटर पर श्रीराजपुत धर्मशाला अध्यक्ष कालुसिंह पिता नानु सिंह निजी संस्था के रूप में दर्ज हुई जो कि, आरसीएमएस अन्तर्गत 0035/अ–3/2021–22 से स्वामित्व योजना के तहत प्लांट नंबर 322 निर्मित होना पाया गया तथा उक्त प्लांट नंबर पर कालुसिंह पिता नागुसिंह का नाम अध्यक्ष के रूप मे दर्ज हुआ है। चूँकि उक्त भूमि शासकीय आबादी होकर अन्य समाज के द्वारा राशि एकत्रित कर निर्माण कार्य करवाया गया है। तथा

Check and Verified by me

Nakal Navees.....

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम: बटलावदी | | | पटवारी हल्का: बटलावदा | | | तहसील: खाचरोद | | जिला: उज्जैन | फसल के ब्यौरे | | वर्ष: 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)<br>2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है<br>3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. पट्टे की अवधि<br>3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार<br>1. बंधक<br>2. दृष्टिबंधक<br>3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल<br>1. खरीफ<br>2. रबी<br>3. जायद<br>4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति<br>2. भूमि पर संरचना /वृक्ष<br>3. अन्य अभियुक्तियाँ<br>4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1402652441 | 701 (S) | | 2.5200 हेक्टेयर<br>आबादी<br>आबादी (गौंवठान) 2.5200<br>रु.0.00 | (शासकीय) | | | | | | | |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटल साइन कॉपी के लिए लोक सेवा केन्द्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

specimen copy

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| बटलावदी | पटवारी हल्का: बटलावदी | | | | | तहसील: खाचरोद | | जिला: उज्जैन | | | वर्ष: 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1564030282 | | 322 (P) | 938 वर्ग मीटर<br>आवासीय<br>रु.0.00 | श्री राजपूत धर्मशाला अध्यक्ष कालूसिंह पिता नागुसिंह निजी संस्था | 1/1 | | | | | | |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

नीलेश
MBA, LL.B
हाईकोर्ट एडवोकेट

चेम्बर नंबर 62, एडवोकेट चेम्बर्स
बिल्डिंग, जिला न्यायालय परिसर, कोठी
पैलेस, उज्जैन म.प्र.
**Mobile No. 98930-71319**

दिनांक 12.02.2026

प्रति,

1. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
   म.प्र. शासन
   तहसील अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय,
   तहसील खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र.

2. श्रीमान तहसीलदार (राजस्व)
   म.प्र. शासन
   तहसील अधिकारी कार्यालय,
   तहसील खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र.

3. श्रीमान पटवारी (हल्का नंबर – 19)
   म.प्र. शासन
   तहसील अधिकारी कार्यालय,
   तहसील खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र.

4. श्रीमान सरपंच महोदय,
   म.प्र. शासन
   ग्राम पंचायत–बटलावदी,
   तहसील खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र.

5. श्रीमान सचिव महोदय,
   म.प्र. शासन
   ग्राम पंचायत–बटलावदी,
   तहसील खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र.

**विषय – मेरे पक्षकार पवन राठौर पिता भेरूलाल राठौर निवासी ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद जिला उज्जैन से प्राप्त जानकारी के आधार पर आप महोदयगण क्र. 1 लगायत 5 को धारा 80 (2) सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ धारा 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कानूनी नोटिस प्रेषित कर सूचित किया जाता है।**

माननीय महोदयगण,

1. यह कि, मेरे पक्षकारगण से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है कि ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद स्थित भूमि सर्वे नंबर 701 रकबा 2.52 हे. मद होकर आबादी में दर्ज होकर शासकीय भूमि है

नीलेश नायक
MBA, LL.B
हाईकोर्ट एडवोकेट

कार्यालय :–
चेम्बर नंबर 62, एडवोकेट चेम्बर्स
बिल्डिंग, जिला न्यायालय परिसर, कोठी
पैलेस, उज्जैन म.प्र.
Mobile No. 98930-71319

तथा उक्त भूमि सर्वे नंबर 701 के 938 वर्गमीटर पर ग्राम बटलावदी के समस्त समाजजनों द्वारा जिसमें राठौर समाज, ब्राम्हण समाज, पोरवाल समाज एवं अन्य समाजजनों द्वारा जनसहयोग कर धर्मशाला का निर्माण करवाया गया है।

2. यह कि, उक्त भूमि सर्वे नंबर 701 पर जो सार्वजनिक धर्मशाला का निर्माण, ग्राम बटलावदी के समस्त समाजजनों के द्वारा जनसहयोग से सहयोग प्राप्त कर जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सहयोग प्राप्त कर ग्राम बटलावदी के समस्त नागरिकों के द्वारा सहमत होकर उक्त सार्वजनिक धर्मशाला का नाम श्रीराम धर्मशाला तय किया गया है जिसमें सभी समाजजन सहयोग एवं उपयोग करते आ रहे थे।

3. यह कि, मेरे पक्षकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है कि राजपूत समाज के पूर्व सरपंच कालूसिंह पिता नागुसिंह के द्वारा वर्ष 2020–21 में ग्राम बटलावदी के ग्राम सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव, संबंधित तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 19 एवं कालूसिंह पिता नागूसिंह के द्वारा अपने रसूख के दम पर उक्त भवन जो सार्वजनिक धर्मशाला के रूप में निर्मित किया गया था, को ग्राम पंचायत सचिव बटलावदी द्वारा भवन संपत्ति कर रजिस्टर अनुसार वर्ष 2020–21 क्र. 114 राजपूत धर्मशाला 56X49 अंकित कर शासन के शासकीय दस्तावेजों मे हेरफेर कर अपना नाम अंकित किया गया जो आपराधिक अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

4. यह कि, मेरे पक्षकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है कि वर्ष 2023–24 से वर्तमान वर्ष 2025–26 तक भूमि सर्वे नंबर 701 जो शासकीय भूमि है, पर कालूसिंह पिता नागूसिंह निवासी ग्राम बटलावदी द्वारा आप महोदय क्र. 4 और 5 के साथ मिलकर शासकीय भूमि में हेर–फेर करते हुये प्लॉट नंबर 322 से 938 वर्गमीटर पर कि राजपूत धर्मशाला अध्यक्ष कालूसिंह पिता नागू सिंह निजी संस्था के रूप में दर्ज करवा ली गयी। इस संबंध में आप महोदय क्र. 4 एवं 5 के द्वारा आप महोदय क्र. 3 तत्कालीन

...श नायक
...BA, LL.B
हाईकोर्ट एडवोकेट

कार्यालय :-
चेम्बर नंबर 62, एडवोकेट चेम्बर्स
बिल्डिंग, जिला न्यायालय परिसर, कोठी
पैलेस, उज्जैन म.प्र.
**Mobile No. 98930-71319**

पटवारी हल्का क्र. 19 के साथ मिलकर म.प्र शासन को चूना लगाते हुये आर्थिक हानि पहुंचाई है।

5. यह कि, मेरे पक्षकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक राजस्व प्रकरण क्र. 0104/बी–121/2025–26 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर निर्णय किया जाकर उक्त सर्वे नंबर 701 पर ग्राम बटलावदी के समस्त समाजजनों के सहयोग से निर्मित धर्मशाला को सार्वजनिक धर्मशाला माना गया है। उक्त सर्वे नंबर 701 शासकीय भूमि ग्राम बटलावदी स्थित को आबादी भूमि पर निर्मित आरसीएस अंतर्गत 0035/अ–3/2021–22 में चढ़े नाम राजपूत धर्मशाला अध्यक्ष कालू सिंह पिता नागूसिंह के नाम को माननीय राजस्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आप महोदय क्र. 1 के द्वारा आदेशित करते हुये त्रुटिपूर्ण माना गया है। इसी तारतम्य में दिनांक 19.01.2026 को प्रकरण क्र. 0100/बी–121/2025–26 में सर्वे नंबर 701 शासकीय भूमि ग्राम बटलावदी स्थित आबादी भूमि पर निर्मित सार्वजनिक धर्मशाला पर स्थगन प्रदाय किया गया है।

6. यह कि, मेरे पक्षकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है कि सर्व नंबर 701 शासकीय भूमि है, पर कालूसिंह पिता नागूसिंह के द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 19 के साथ मिलकर आप महोदय क्र. 4 एव 5 के द्वारा उक्त सर्वे नंबर 701 पर प्लॉट को दर्शित करते हुये पूर्व में निर्मित सार्वजनिक धर्मशाला श्रीराम धर्मशाला को साजिश करते हुये श्री राजपूत धर्मशाला अध्यक्ष कालूसिंह पिता नागूसिंह निजी संस्था के रूप में दर्ज को जब म.प्र. शासन के पीठासीन अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण मान लिया तब किस आधार पर दिनांक 05.02.2026 तथा 10.02.2026 को व्यक्तिगत तौर पर कालूसिंह पिता नागूसिंह के द्वारा निजी रूप से श्रीराम धर्मशाला पर राजपूत धर्मशाला के नाम पर तथा किस आधार पर, व्यक्तिगत किराये पर दिये जाकर व्यक्तिगत एवं विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

तहसीलदार
...-खाचरौद (म.प्र.)

...अधिकारी (रा.)
...खाचरौद

नीलेश नायक
MBA, LL.B
हाईकोर्ट एडवोकेट

कार्यालय :–
चेम्बर नंबर 62, एडवोकेट चेम्बर्स
बिल्डिंग, जिला न्यायालय परिसर, कोठी
पैलेस, उज्जैन म.प्र.
Mobile No. 98930-71319

7. यह कि, मेरे पक्षकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है कि आप महोदय क्र. 1 लगायत 3 को धारा 80(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ धारा 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रेषित कानूनी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि भूमि सर्वे नंबर 701 जो शासकीय भूमि होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिस पर पूर्व में ग्राम बटलावदी के समस्त नागरिकों के द्वारा जनसहयोग से निर्मित सार्वजनिक श्रीराम धर्मशाला का निर्माण कर स्थापित की गई, पर ग्राम बटलावदी के निवासी कालूसिंह पिता नागूसिंह के द्वारा निजी संस्था के रूप में जो श्री राजपूत धर्मशाला पर आप महोदय क्र. 4 एवं 5 के साजिश रचित सहयोग से अधिकार निर्मित रूप में निजी संस्था पर विशेष कार्यक्रम निजी तौर पर जो आयोजन किये जा रहे हैं, तत्काल रोके जावे तथा उक्त धर्मशाला जिसे निजी संस्था के रूप में त्रुटिपूर्ण मान लिया गया है, पर शासकीय ताला लगाया जाकर इसकी चाबी सक्षम प्राधिकारी राजस्व विभाग जिला उज्जैन के समक्ष रखी जाना नितांत एवं कानूनी रूप स आवश्यक है। इसी तारतम्य में प्रेषित नोटिस के माध्यम से आप महोदय क्र. 1 लगायत 3 को इस तथ्य के साथ सूचित किया जा रहा है कि प्राप्त नोटिस मिलने के 15 दिवस के भीतर उक्त भूमि सर्वे नंबर 701 शासकीय भूमि पर निजी संस्था के रूप में निर्मित नाम को एवं सार्वजनिक श्रीराम धर्मशाला के उपर निर्मित श्री राजपूत धर्मशाला के नाम को विलोपित किया जावे अन्यथा यह माना जावेगा कि आप महोदय क्र. 1 लगायत 3 के द्वारा कालूसिंह पिता नागूसिंह के साथ मिलकर एवं आप महोदय क्र. 4 एवं 5 के साथ योजना बनाते हुये शासकीय भूमि के रेकार्ड में हुई हेर–फेर को मौखिक रूप से सहयोग दिये जाकर बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके संबंध में मेरे पक्षकार द्वारा अपने संबंधित अधिवक्ता के माध्यम से इस बात की विधिवत शिकायत शपथ पत्र के साथ श्रीमान जिला कलेक्टर उज्जैन म.प्र. शासन एवं सक्षम सिविल न्यायालय जिला न्यायालय उज्जैन एवं अन्तर्गत तहसील सिविल न्यायालय, खाचरौद के साथ माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ के समक्ष अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट पिटीशन आप महोदय क्र. 1 लगायत 3 के विरूद्ध

नीलेश नायक
MBA, LL.B
हाईकोर्ट एडवोकेट

कार्यालय :–
चेम्बर नंबर 62, एडवोकेट चेम्बर्स बिल्डिंग, जिला न्यायालय परिसर, कोठी पैलेस, उज्जैन म.प्र.
Mobile No. 98930-71319

महोदय क्र. 4 एवं 5 के साथ मिलकर कालूसिंह पिता नागूसिंह निवासी ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद को शासकीय भूमि सर्वे क्र. 701 को निजी संस्था के रूप में दर्ज करने के सहयोग के रूप में माननीय उच्च न्यायालय एवं संबंधित सिविल न्यायालय के समक्ष पेश की जावेगी जिसके समस्त हर्जे–खर्चे एवं परिणाम की जिम्मेवारी आप महोदय क्र. 1 लगायत 5 की मानी जावेगी।

अतः आप महोदय क्र. 1 लगायत 3 को प्रेषित सूचना पत्र से सूचित किया जाता है कि, प्राप्त नोटिस मिलने के 15 दिवस के भीतर उक्त भूमि सर्वे नंबर 701 शासकीय भूमि पर निजी संस्था के रूप में निर्मित नाम को एवं सार्वजनिक श्रीराम धर्मशाला के उपर निर्मित श्री राजपूत धर्मशाला के नाम को विलोपित किया जावे अन्यथा यह माना जावेगा कि आप महोदय क्र. 1 लगायत 3 के द्वारा कालूसिंह पिता नागूसिंह के साथ मिलकर एवं आप महोदय क्र. 4 एवं 5 के साथ योजना बनाते हुये शासकीय भूमि के रेकार्ड में हुई हेर–फेर को मौखिक रूप से सहयोग दिये जाकर बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके संबंध में मेरे पक्षकार द्वारा अपने संबंधित अधिवक्ता के माध्यम से इस बात की विधिवत शिकायत शपथ पत्र के साथ श्रीमान जिला कलेक्टर उज्जैन म.प्र. शासन एवं सक्षम सिविल न्यायालय जिला न्यायालय उज्जैन एवं अन्तर्गत तहसील सिविल न्यायालय, खाचरौद के साथ माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ के समक्ष अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट पिटीशन आप महोदय क्र. 1 लगायत 3 के विरूद्ध महोदय क्र. 4 एवं 5 के साथ मिलकर कालूसिंह पिता नागूसिंह निवासी ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद को शासकीय भूमि सर्वे क्र. 701 को निजी संस्था के रूप में दर्ज करने के सहयोग के रूप में माननीय उच्च न्यायालय एवं संबंधित सिविल न्यायालय के समक्ष पेश की जावेगी जिसके समस्त हर्जे–खर्चे एवं परिणाम की जिम्मेवारी आप महोदय क्र. 1 लगायत 5 की मानी जावेगी।

इति दिनांक 12.06.2026

प्रेषक

हस्ताक्षर – पवन राठौर पिता भेरूलाल राठौर
ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र.

नीलेश नायक, एडवोकेट
मो. 98930–71319

नोट – प्रेषित सूचना पत्र की एक प्रति मेरे कार्यालय में सुरक्षित रखी गई है।

खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र.

विषय::–राजपूत, ब्राह्मण, बैरागी, सैन, पोरवाल, प्रजापत, राठौर (तेली), समाज के चंदे से बनाई गई धर्मशाला में कालूसिंह पिता नागुसिंह राजपूत की मनमानी बंद करने बाबत।

सेवा में,

श्रीमान से निवेदन है की उपरोक्त सभी समाज के चंदे से जो धर्मशाला बनी है वह धर्मशाला कालूसिंह पिता नागुसिंह राजपूत ने निजी संस्था के नाम पर दर्शायी जा रही है वह गलत है और श्रीमान से निवेदन है कि जब प्रकरण विचाराधीन है तथा एस.डी.एम.साहब ने स्थगन के माध्यम से निर्माण कार्य रोका गया है और उसके बावजूद भी अगर कालूसिंह पिता नागुसिंह राजपूत के द्वारा जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है यह गलत है आज दिन तक हिसाब नहीं दिया जा रहा है राजपूत समाज व धर्मशाला सदस्य द्वारा हिसाब मांगने की बात पर कालुसिंह हिसाब नही दे रहा है उसके उपरांत भी चंदा इकट्ठा कर रहे है और चंदा लिख रहे है और अपनी के मनमानी चलते अगर तारीख निकल जाए तो उससे डबल पैसे लेते हैं इसलिए समाजजनों की मांग है कि पहले हिसाब दे और हिसाब देने के बाद में जो भी अगली प्रकिया होगी वह धर्मशाला के सदस्य द्वारा निर्णय लिया जाएगा की राशि कब उगाई करना है कब इकट्ठा करना है और जिस भाई ने इस धर्मशाला में पैसे दिया है उनके साथ अत्याचार ना हो सबके साथ न्याय हो सब ने पैसे दिया है सब की धर्मशाला है किसी एक व्यक्ति की धर्मशाला नहीं है यह निर्णय लिया जाएगा

अतः श्रीमान से निवेदन है की कालूसिंह पिता नागुसिह राजपूत लोकेंद्रसिंह भाणेज को गलत अफवा फैलाने और गांव में शांति भंग करवा सकते हैं इसलिए कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर करके इस धर्मशाला का जो विवाद चल रहा है उसको जल्द से जल्द निराकरण करने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांकः–13 / 04 / 2026

सर्व समाज व समस्त ग्रामवासीगण
ग्राम बटलावदी तहसील जि.उज्जैन

धारासिंह सोहनसिंह जितेन्द्रसिंह

भेरूसिंह

जीवनसिंह गुलाबसिंह

लालसिंह

ईश्वर सिंह अनोखिलाल

दिलीपसिंह